

भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो

क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय

माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002

ई मेल:- ro.ajmer@ibm.gov.in

Government of India

Ministry of Mines

Indian Bureau of Mines

Office of the Regional Controller of Mines.

Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002

Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

स: राज अजम/520/क्वार्टर-फेल्सपार-466

अजमेर दिनांक -2/8/2013

प्रेषित

श्री गोपाल कृष्ण शर्मा

मकान न- 11, न्यू अग्रसेन नगर, देलवाड़ा रोड

पोस्ट- ब्यावर, जिला-अजमेर-

राज-305901

विषय:

राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में स्थित आपकी गंगारा क्वार्टर फेल्सपार खान 4.2 हेक्टर ML -72/03) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियमों का उल्लंघन (खान कोड संख्या 22RAJ01590)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24/7/2013 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 संशोधित 2011) के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

नियम

उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा

- 12(3) The mining plan for the mine was approved on 5/3/2008 and mining operations commenced from 23rd July 2008. The five years plan period has completed and expired. The scheme of mining for next five years period have not been submitted to competent authority for approval and mining work is being carried out without having approved scheme of mining.
- 13(1) The mining operations in the leasehold area have not been carried out in accordance with the approved mining plan dated 5/3/2008 to the extent given below.
- a) As per para 13.3 (VI) of approved plan, it was proposed to plants 30 saplings each year but the scheme has not been implemented.
- 45(5)(B) Annual return of the Mines for the year 2011-12 and 2012-13 have not been submitted to the office of Regional Controller of Mines, Ajmer before 1st July in prescribed format.
- 45(5)(A) Monthly returns of the Mines for the year 2012-13 have not been submitted to the office of Regional Controller of Mines, Ajmer before 10th of each month in prescribed format.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) and 45 (7)(1) के अंतर्गत (क) खदान की सारी सक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03.अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(बाबुलाल गुर्जर)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।

2) खनि अभियन्ता,, अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित।

(बाबुलाल गुर्जर)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक